

कार्यालय
पत्रांक: २०५ /न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2021

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 18.01.2021

मात्रा जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2360/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा कन्टेनमेंट जोन की सीमा/परिधि निम्नवत निर्धारित करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग-3 उ0प्र0शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टेनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संकिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियाँ अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।
- (b) कन्टेनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (**House to house**) की सघन निगरानी की जाय।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेंस्टिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकंन, ट्रैसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा संभव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिन्हित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्ते पूर्ण करते हैं तो होम आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवश्कतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शतत निगरानी रखी जाए।
- (h) आईएल0आई/एस0ए0आर0आई0 के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (i) कोविड-19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (**Appropriate behaviour**) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-ए.ल.आई.यू./सी-34/2021 दिनांक 18.01.2021 में अवगत कराया गया है कि 'प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना दर्जी रहती है।'

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 56 हॉट स्पॉट घिन्हित कर रोल किये गये हैं, जिनमें 17—आवास विकास प्रथम (एच०एफ०एस / एस०एफ०एच०) नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ० यूर्या नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, डी० ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० प्रेमनगर, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, लल्ला बाबू रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ३/११ डी०एम० रोड, बुलन्दशहर, रामा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० मिर्ची टोला, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शीतल गंज, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मोतीबाग, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, बाहिमी बस्ती, पल्लव विहार भूड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० कैलाशपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, बीसा कालोनी, विंच०० व तहसील बुलन्दशहर, महालक्ष्मी एनकलेव नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ग्राम चॉदपुर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०दुर्गापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 39 हॉटस्पॉट—एन०ए०पी०एस० टाउनशिप नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, सीआईएसएफ कालोनी नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, ग्राम वराल, विंच०० गुलायठी, तहसील बुलन्दशहर, मौ० हीरा कालोनी, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम असावर, विंच०० बी०बी०नगर, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम शिवाली, विंच०० लखायठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अटटा, विंच०० बी०बी०नगर, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम उदयगढ़ी, विंच०० व तहसील डिबाई, ग्राम मांगलौर, विंच०० लखायठी, तहसील बुलन्दशहर, पट्टी हरनाम सिंह, विंच०० व तहसील स्याना, ग्राम वित्सौना अर्कीपुर, विंच०० बी०बी०नगर, तहसील स्याना, ग्राम एंचौरा, विंच०० व तहसील अनूपशहर, ग्राम रेतागढ़, माजरा नीदई बांगर, विंच०० व तहसील डिबाई, ग्राम पिलखना, विंच०० व तहसील डिबाई, ग्राम बदरपुर, विंच०० व तहसील डिबाई, राधिका एनकलेव, विंच०० व तहसील बुलन्दशहर, मौ०सराय बैरुनी तहसील डिबाई, ग्राम बंचावली विंच०० व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ०पोखर नगरीय क्षेत्र व तहसील अनूपशहर, ग्राम अभयपुर विंच०० जहाँगीराबाद तहसील स्याना, ग्राम घुंघरावली विंच०० व तहसील शिकारपुर, ग्राम खैरपुर विंच०० व तहसील शिकारपुर, ग्राम ततारपुर विंच०० अगौता तहसील बुलन्दशहर, ग्राम रहमापुर स्यावली विंच०० लखायठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सराय झाझन कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम सहकारी नगर विंच०० लखायठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम हैदराबाद, विंच०० अगौता तहसील बुलन्दशहर, ग्राम डरौरा विंच०० व तहसील अनूपशहर, मौ० दुद्ध गली पैठ कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम बादशाहपुर गढिया विंच०० व तहसील स्याना, गंडासा फैक्टरी, निकट हापुड स्टैण्ड नगरीय क्षेत्र स्याना, ग्राम भैंसरोली नासिरपुर, विंच०० व तहसील शिकारपुर, ग्राम मनिया टीकरी, विंच०० जहाँगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम इलना, विंच०० जहाँगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम उमरारा, विंच०० दानपुर, तहसील डिबाई, मौ० मुरारी नगर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम रंगपुर विंच०० व तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरपुर, विंच०० व तहसील खुर्जा बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 18.01.2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या—6155 है, 784 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में हैं। जनपद में 92 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी—प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी—प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-जनवरी १५, 2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टेण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लागाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना सर्वीचीन होगा।

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर